

भारतीय मानक व्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS (रायपुर शाखा कार्यालय) (Ralpur Branch Office)

योगिंद सारम सॉन्टलेक्स, दूसरी मंजिल, Govind Sarang Complex, 2nd Floor, न्यू राजेन्द्र सगर/New Rajendra Nagar, रायपुर/Raipur- 492006(उल्तीसगढ़/Chhattingarh) द्रामपुर/Raipur- 492006(उल्लीसगढ़/Chhattingarh) द्रामपुर/Raipur- 492006(उल्लीसगढ़/Chhattingarh)

PRESS REALESE

A secrete information has been received at Raipur Branch Office that one manufacturer of Packaged Drinking Water at Pendra Road, Bilaspur, Chhattisgarh is using fake ISI Mark on Packaged Drinking Water and selling in the market without obtaining a valid product certification licences from BIS. Accordingly a search & seizure operation was carried out on 01.02.2017 at M/s Malti Industries, In front of Power House, Rani durgawati Chowk, Pendra Road, Disstt.- Bilsapur, Chhattisgarh, during which misuse of ISI Mark on Packaged Drinking Water of 1Lt. PET Bottle and 250ml Pouch were found accordingly above material were seized by BIS team. The proprietor of the firm is Ms. Sohit Keshari, Further legal action as per BIS Act 1986 shall be initiated against the firm. There is a provision in BIS Act 2986 that a fine of Rs. 50,000/- or impressments of one year or both can be imposed on the firm if found guilty by Honorable Court. In order to avoid any misuse BIS is having system for collecting secrete information and based on that suitable action shall be initiated against the firm so that customer can get good quality of product.

(A.K. Sinha) Sc. F & Head



भारतीय मानक व्यूरो BUREAU OF INDIAN STANDARDS (रायपुर शाखा कार्यालय) (Ralpur Branch Office)

गोविट सारंग कॉम्प्लेकस, दूसरी मजिल, Govind Sarang Complex, 2rd Floor, स्यू राजेस्ट जगर/New Rajendra Nagar, रावपुर/Raipur- 492006(एन्लीसगढ़/Chhattingarh) द्राक्षप/Tel:0771-2419404, 2412235 केक्स/Fax: 0775-2419404 केस/Web: <u>www.bis.org.in</u> ई-मेल/E-mail: <u>iob@bis.org.in</u> केन/PAN: AAATB04310

प्रेष विज्ञप्ति

भारतीय मानक ब्यूरो के रायपुर शाखा कार्यालय को यह गुप्त स्चना मिली थी कि बोतल बंद पेय जल से संबंधित पेंड्रा रोड बिलासपुर में भारतीय मानक ब्यूरो से बिना लाइंसेंस प्राप्त किए अवैध रूप से आईएसआई मार्क का दुरूपयोग कर बोतल बंद पेयजल का निर्माण एवं मार्केट में बंचा जा रहा है। इस आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता गठन किया गया एवं प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता गठन किया गया एवं प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर कार्यालय प्रमुख द्वारा एक विशेष छापेमारी दस्ता गठन किया गया एवं प्राप्त गुप्त सूचना के आधार पर तलाशी एवं जब्दी अभियान हेतु दिनांक 01.02.2017 को मैजा गया। छापेमारी के दौरान मेसर्स मालती इण्डस्ट्रीज, पावर हाउस के सामने, रानी दुर्गावती चौंक, पेड्रा रोड, जिला- बिलासपुर छ.ग जिसके मालिक श्री शोहित केसरी के द्वारा आईएसआई मार्क का दुरूपयोग करते हुए पाया गया। छापेमारी के दौरान उपरोक्त कर्म से नकली आईएसआई मार्क का दुरूपयोग करते हुए पाया गया। याथा। उपरोक्त फर्म से जब्द किए गए उत्पादों को आगे की कार्रवाई हेतु भारतीय मानक ब्यूरो अपने कब्जे में ले लिया है। भारतीय मानक ब्यूरो ऐक्ट 1986 क लियमों के तहत आइएसआइ मार्क के दुरुपयोग पाए जाने पर तथा इसकी कोर्ट की सत्यापन होने के बाद रू 50000/- की जुर्माला या उत्पादनकतो को एक वर्क की सजा या दोनों दिया जा सकता है। भारतीय मानक ब्यूरो उत्पाद की गुणायत्ता बनाए रखने में इस लरह का अझियान गुप्त सूचना के आधार पर, अपने सौजल्य से एव अन्य आधार पर करती रहती है।

32

(ए.के. सिन्हा) वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख